संख्या–1019 / xxxii /2007

प्रेषक,

किशन नाथ,
अपर सचिव/राज्य सम्पत्ति अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन।

राज्य सम्पत्ति विभाग

देहरादून: दिनांक 05 नवम्बर, 2007

विषय उत्तराखण्ड निवास नई दिल्ली भवन में महामहिम श्री राज्यपाल की किचन के नवीनीकरण का कार्य किये जाने के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2007–08 में वित्तीय स्वीकृति प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षण अभियन्ता, लखवाड़ व्यासी निर्माण मण्डल प्रथम, सिंचाई विभाग, देहरादून द्वारा पत्र संख्या–5787/लखवाड़–1/आर–1 (रा0स0वि0), दिनांक–17अक्टूबर, 2007 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये आगणन के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड निवास, नई दिल्ली भवन में महामहिम श्री राज्यपाल की किचन के नवीनीकरण का कार्य किये जाने से सम्बन्धित रूपये 3.89 लाख की लागत के आगणन के सापेक्ष इतनी ही धनराशि निम्न शर्तो के अधीन व्यय हेतु आपके नियर्तन पर रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन उक्त स्वीकृति धनराशि का आहरण कर अधीक्षण अभियन्ता, लखवाड़ व्यासी निर्माण मण्डल प्रथम, सिंचाई विभाग, सिंचाई विभाग, देहरादून के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/चैक बना कर संबधित कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेंगे।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता, द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति हेतु नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता, का अनुमोदन आवश्यक होगा।

4– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। कार्य की अनुमन्यता निर्धारित मानकों के अनुसार है, यह भी कृपया सुनिश्चित किया जाय।

6– एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर, नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टेक–अप किया जाय।

7– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही पूर्ण कर कार्यो को सम्पादित किया जायेगा।

8— कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों द्वारा अवश्य करा लें। निरीक्षण के बाद स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

9— आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उन्हीं मदों पर किया जाए, एक मद की राशि दूसरे मदों पर कदापि व्यय नही की जाय।

10— प्रश्नगत कार्य अनुरक्षण इकाई द्वारा दिनांक 31–12–2007 तक पूर्ण करा लिये जायेंगे तथा आगणन को किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।

11— कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु संबंधित अधीक्षण अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

12— इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष–2007–2008 के के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–2052–सचिवालय सामान्य सेवायें–00–आयोजनेत्तर –091–संलग्न कार्यालय–03–राज्य सम्पत्ति विभाग –29–अनुरक्षण के नामे डाला जाएगा ।

13— यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–88/xxxii (3) कार्य/2005, दिनांक, 24फरवरी, 2005 के क्रम में निर्गत किये जा रहे है ।

भवदीय,

(किशन नाथ)
अपर सचिव/राज्य सम्पत्ति अधिकारी।

संख्या 1019 (1)/ xxxii /2007 तद्‌दिनांक ।

1— महालेखाकार,उत्तराखण्ड ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून ।
2— वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून ।
3— अधीक्षण अभियन्ता, लखवाड व्यासी निर्माण मण्डल प्रथम, सिंचाई विभाग, देहरादून।
4— अधिशासी अभियन्ता, सुरंग एवं विद्युत गृह खण्ड–2, सिंचाई विभाग, देहरादून ।
5— व्यवस्था अधिकारी, उत्तराखण्ड निवास, नई दिल्ली।
6— वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन ।
7— एन0आई0सी0/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(के0एस0बिष्ट)
उप सचिव।

05110700 ..